जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर दिनॉक 28.11.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1106/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये सामान सहित किया गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 25.11.2024 को वादी श्री अंकुर अग्रवाल पुत्र श्री अरूण कुमार अग्रवाल निवासी अंकुर प्लाजा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी की बिल्डिंग से ए0सी0 से कॉपर पाईप व एल्यूमिनियम व दो मोनिटर चोरी कर लिये गये। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1106/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 28.11.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1106/24 धारा 303(2) बीएनएस में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण 1.कालीचरण पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी बैगमपुर थाना लालकुर्ती जनपद मेरठ हाल निवासी नगीना फाटक के पास थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.जावेद पुत्र मुज्जफर अली निवासी इरशाद कॉलोनी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गये तांबे के तार व टुटे हुए तांबे के पाईप व 2000 रूपये नगदी बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1– 1.कालीचरण पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी बैगमपुर थाना लालकुर्ती जनपद मेरठ हाल निवासी नगीना फाटक के पास थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.जावेद पुत्र मुज्जफर अली निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.एक बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण–

तांबे के तार व टुटे हुए तांबे के पाईप व 2000 रूपये नगदी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 जोगेन्द्र बैसला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2–का0 1514 सन्नी खारी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3–का0 1319 अर्पित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4–का0 1491 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 28.11.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 1108/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/352/351(3)/109(1) बी.एन.एस. से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.11.2024 को वादी हर्षित पुत्र ओमवीर सिंह निवासी जलालपुर हसना थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर हाल निवासी आदर्श नगर कॉलोनी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 25.11.2024 को वादी तथा उसके 02 दोस्त दीपक उर्फ पठान व अभय निवासी आदर्श नगर कॉलोनी थाना कोतवाली शहर, बिजनौर अपने कमरे मे बैठकर पढाई कर रहे थे। इसी दौरान उनके कमरे मे 1.गगन 2.शुभ 3.आयुष 4.सयंम 5.आशु 6.अक्षित 7.बन्धन 8.वंश 9.अमित 10.बादल 11.बौबी 12.शेखर 13.सुशान्त 14.दिपांशु 15.अभिनव निवासीगण स्वाहेडी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर तथा 16.रियांक निवासी गढी बगीची थाना कोतवाली शहर, बिजनौर व 4 – 5 अज्ञात लोगो ने हमारे कमरे मे घुसकर एक राय होकर वादी के साथ मारपीट की, जिससे उसे काफी चोटे आयी तथा गाली गलोच करते हुए जान मारने की धमकी दी। गंगन पुत्र कामेन्द्र ने वादी पर फायर किया, जिससे वह बाल-बाल बच गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1108/24 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/352/351(3)/109(1) बी.एन.एस. बनाम गगन आदि कुल 16 नामजद व अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 28.11.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त आयुष पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम स्वाहेडी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर, जोकि जिला अस्पताल, बिजनौर मे उपचाराधीन है को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आयुष पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम स्वाहेडी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 श्री अवनीत कुमार मान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

कां0 1455 विक्रान्त थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़ **दिनांक – 28.11.2024**

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गये आईफोन मोबाइल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.11.2024 को वादी श्री मौ0 रईस पुत्र अ0 शकूर निवासी मौ0 गौहर अली खाँ कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ़ पर तहरीर दी कि दिनांक 26.11.2024 को एक शादी समारोह में किसी अज्ञात व्यक्ति ने वादी की जेब से वादी मोबाईल I Phone 12 pro max चोरी कर लिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 361/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 28.11.2024 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त लोकेन्द्र पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम शिवपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर चोरी किया गया मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

लोकेन्द्र पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम शिवपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी –

I Phone 12 pro max

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 361/24 धारा 303(2)/317(2) भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 328/2021 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री शेर सिंह व व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

2.हे0का0 430 कलीम हसन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

3.का0 540 आसिफ अली थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

4.का0 407 रुपेश गिरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर दिनॉक 28.11.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 999/24 धारा 109(1)/61(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.10.2024 को वादी श्री मुबारिक पुत्र जमीर अहमद निवासी ग्राम सेदाबाद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.सलीम 2.वसीम पुत्रगण नसीम 3.फयाज 4. फेजान पुत्रगण यूनुस निवासीगण ग्राम सैदाबाद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने वादी के भाई इन्तजार को जान से मारने की नियत से गोली चला दी, जो इन्तजार के पैर में लगी और वह घायल हो गया।

तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 999/24 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही–

आज दिनांक 28.11.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.मुबारिक 2.इन्तजार पुत्रगण जमीर अहमद निवासीगण ग्राम सैदाबाद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस बरामद किये। शस्त्र बरामदगी के संबंध में अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1– मुबारिक पुत्र जमीर अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।

2– इन्तजार पुत्र जमीर अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण–

एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 विनोद कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2–हे0का0 11 राजेश प्रताप सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3–का0 1860 सुनील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4–का0 1797 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़ **दिनांक – 28.11.2024**

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने चोरी की 02 घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को नगदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.11.2024 को वादी श्री सुरेंद्र पाल शर्मा पुत्र सतपाल शर्मा निवासी ग्राम सलावतनगर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ़ पर तहरीर दी कि 02 अज्ञात अभियुक्तगणो द्वारा वादी की पशु आहार की दुकान कि छत की टीन तोडकर दुकान के गल्ले मे रखे चांदी के 30 सिक्के तथा गल्ले मे रखे रु10, रु20, रु50, रु100, रु200 एवं रु500 के लगभग 01 लाख रुपए जिनमे से लगभग रु 20,000 /- खराब नोट थे चोरी कर लिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 360/24 धारा 305(ए) / 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 28.11.2024 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.शरीफुल हसन उर्फ तेजा पुत्र जाहिद हसन 2.गुलफाम पुत्र अली हसन निवासीगण खेडा लक्ष्मीपुर थाना जसपुर जनपद ऊधमसिंहनगर उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गये वादी का आधार कार्ड, मोटरसाइकिल की चाबी, चोरी किये गये कुल ₹ 44,330 /- बरामद किये गये तथा घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल बजाज पल्सर रजि0नं0 UK18F1462 बरामद की गयी। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 26.11.2024 को समय करीब 03.00 बजे हम दोनो ने थाना रेहड क्षेत्र के ग्राम सिरियावाली चक के एक मन्दिर का दान पात्र तोडकर चोरी की थी तथा दिनांक 26/27.11.2024 की रात्रि में कस्बा अफजलगढ में पशु आहार की दुकान की छत की टीन तोडकर दुकान में घुसकर गल्ले से रूपये व सामान चोरी किया था

थाना रेहड क्षेत्रान्तर्गत मन्दिर से चोरी के सम्बंध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 131/2024 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.शरीफुल हसन उर्फ तेजा पुत्र जाहिद हसन निवासी खेडा लक्ष्मीपुर थाना जसपुर जनपद ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)

2.गुलफाम पुत्र अली हसन निवासी खेडा लक्ष्मीपुर थाना जसपुर जनपद ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)

बरामदगी –

वादी का आधार कार्ड

रॉयल इन्फील्ड मोटरसाईकिल की चाबी

एक गड्डी 500 के नोट की जिसमें 37 नोट है कुल रूपये 18500

100 के नोटों की दो गड्डी जिसमें पहली गड्डी में 100 नोट व दूसरी गड्डी में 22 नोट कुल 12200 रूपये

50 के नोटो की दो गड्डी जिसमें पहली गड्डी में 76 नोट व दूसरी गड्डी में 103 नोट कुल 8950 रूपये

20 के नोटो की दो गड्डी जिसमें पहली गड्डी में 80 नोट व दूसरी गड्डी में 49 नोट कुल 2580 रूपये

10 के नोट की तीन गड्डी पहली गड्डी में 86 नोट दूसरी गड्डी में 24 नोट व तीसरी गड्डी में 100 नोट कुल 2100 रूपये जो नये व पुराने नोट है कुल 44,330 /- (चवालिस हजार तीन सौ तीस रूपये)

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बजाज पल्सर रंग काला लाल रजि0नं0 UK18F1462

अभियुक्त गुलफाम का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 157/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जसपुर जनपद उधमसिहनगर उत्तराखण्ड

2.मु0अ0सं0 34/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जसपुर जनपद उधमसिहनगर उत्तराखण्ड

3.मु0अ0सं0 298/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जसपुर जनपद उधमसिहनगर उत्तराखण्ड

4.मु0अ0सं0 147/2021 धारा 380/457 भादवि थाना जसपुर जनपद उधमसिहनगर उत्तराखण्ड

5.मु0अ0सं0 153/2020 धारा 379/411 भादवि थाना जसपुर जनपद उधमसिहनगर उत्तराखण्ड

6.मु0अ0सं0 339/2023 धारा 379/411 भादवि थाना जसपुर जनपद उधमसिहनगर उत्तराखण्ड

7.मु0अ0सं0 360/2024 धारा धारा 305(ए) / 331(4)/317(2) बीएनएस थाना अफजलगढ बिजनौर

8.मु0अ0सं0 131/2024 धारा 305(A) बीएनएस थाना रेहड जनपद बिजनौर

अभियुक्त शरीफुल हसन उर्फ तेजा का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 61/2018 धारा 457/380/411 भादवि थाना जसपुर जनपद उधमसिहनगर उत्तराखण्ड

2.मु0अ0सं0 147/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जसपुर जनपद उधमसिहनगर उत्तराखण्ड

3.मु0अ0सं0 19/2021 धारा 380/457/411 भादवि थाना जसपुर जनपद उधमसिहनगर उत्तराखण्ड

4.मु0अ0सं0 02/2023 धारा 398/401 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जसपुर जनपद उधमसिहनगर

5.मु0अ0सं0 339/2023 धारा 379/411 भादवि थाना जसपुर जनपद उधमसिहनगर उत्तराखण्ड

6.मु0अ0सं0 360/2024 धारा धारा 305(ए) /331(4)/317(2) बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

7.मु0अ0सं0 131/2024 धारा 305(A) बीएनएस थाना रेहड जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

2.का0 2540 प्रेमचन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

3.का0 293 राहुल कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

4.का0 2106 सुरेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर दिनांक – 27.11.2024

थाना नहटौर पुलिस ने मु0अ0सं0 376/2024 धारा 190,191(2),191(3),109,351(3) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.11.2024 को वादिया फूलवती पत्नी स्व0 राजवीर सिंह निवासी ग्राम फुलसन्दा थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.विकास पुत्र वीरेन्द्र 2.विकुल पुत्र वीरेन्द्र 3.वीरेन्द्र पुत्र करन सिंह निवासीगण ग्राम फुलसन्दा थाना नहटौर जनपद बिजनौर तथा 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र धीरेन्द्र व पौत्र आकर्षित उर्फ गोल्डी के साथ एक राय होकर लोहे की रोड व फावड़े से हमला करते हुये मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 376/2024 धारा 190,191(2),191(3),109,351(3) बी0एन0एस0 बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। थाना नहटौर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.विकास व 2.विकुल को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 28.11.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम फुलसन्दा थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वीरेन्द्र पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम फुलसन्दा थाना नहटौर जनपद बिजनौर

अभियुक्त वीरेन्द्र का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 376/2024 धारा 190,191(2),191(3),109,351(3) बी0एन0एस0 थाना नहटौर बिजनौर

2.मु0अ0सं0 58/2023 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 थाना नहटौर बिजनौर

3.मु0अ0सं0 293/2022 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना नहटौर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.हे0का0 312 किशन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर

3.का0 1345 विक्रांत राणा थाना नहटौर जनपद बिजनौर